न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा, जिला – उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या :– 10/2018

दायर दिनांक:– 27.03.2018
फैसल दिनांक:– 27.11.2019

श्रीमती बटू देवी पत्नी श्री पन्नालालजी, जाति डांगी (पटेल) आयु 57 वर्ष पेशा गृहिणी निवासी महुदरा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. श्री धनराज आत्मज श्री रूपाजी जाति कुम्हार आयु वयस्क पेशा व्यापार
2. श्री बाबुलाल आत्मज श्री रूपाजी जाति कुम्हार आयु वयस्क पेशा व्यापार
3. श्री पन्नालाल आत्मज श्री रूपाजी जाति कुम्हार आयु वयस्क पेशा व्यापार
4. श्रीमती हुरज आत्मज श्री रूपाजी जाति कुम्हार आयु वयस्क पेशा व्यापार
5. श्रीमती लक्ष्मी आत्मज श्री रूपाजी जाति कुम्हार आयु वयस्क पेशा व्यापार
6. श्रीमती सोनी पत्नी स्व. श्री रूपाजी जाति कुम्हार आयु वयस्क पेशा व्यापार निवासीयान– नेशनल हाईवे नम्बर 08, भूत बंगले के पास खेरवाडा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर
7. राजस्थान राज्य जयपुर जरिये भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दूरूस्ती एवं निषेधात्मक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :–
श्री कृष्णकान्त मेहता

–:: निर्णय ::–

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

1. यह कि प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के पूर्वाधिकारी श्री रूपा पिता जेठाजी कुम्हार निवासी खेरवाडा के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खाते की कृषि भूमि गांव खेरवाडा छावणी पटवार हल्का खेरवाडा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर में खातेदारी हक से दर्ज थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

खसरा नम्बर	[illegible]	भूमि का वर्गीकरण	लगान

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दूरूस्ती एवं निषेधात्मक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

ति वादी अधिवक्ता :–
कान्त मेहता

–:: निर्णय ::–

ीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि
ह कि प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के पूर्वाधिकारी श्री रूपा पिता जेठाजी कुम्हार निवासी खेरवाडा के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खाते की कृषि भूमि गांव खेरवाडा छावणी पटवार हल्का खेरवाडा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर में खातेदारी हक से दर्ज थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	भूमि का वर्गीकरण	लगान
1114	0.01	बारानी तृतीय	0.02
1118	0.02	बारानी तृतीय 0.01	0.02
		आबादी	----
1123	0.08	आबादी	----
1127	0.02	बारानी तृतीय	0.05

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

1132	0.04	बारानी तृतीय 0.03 आबादी	0.07 ----
1138	0.0600	आबादी	----
1495/1135	0.13	आबादी	----
कुल खसरे 07 क्षेत्रफल 0.3600 है. लगान 0.16			

2. यह कि कॉलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के पूर्वाधिकारी श्री रूपा पिता जेठा कुम्हार निवासी खेरवाडा द्वारा अपने खाते, कब्जे एवं मालीकाना हक की कृषि भूमि खसरा संख्या 1496/1114 मी (एक हजार चार सौ छियानवे बटा एक हजार एक सौ चौदह) रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय लगान 0.02 रूपये को विक्रय मूल्य 75,000/- अक्षरे पिचहत्तर हजार रूपये में वादीया को विक्रय कर मालीकाना हक व कब्जा सौपा गया तथा विक्रय पत्र दिनांक 28.04.2008 को साक्षीगण नाथूलाल एवं जमनालाल प्रजापत निवासी खेरवाडा के समक्ष अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर उप पंजीयन कार्यालय खेरवाडा में दिनांक 12.05.2008 को पंजीकृत कराया गया है।

3. यह कि वादिया को विक्रय पत्र दिनांक 28.04.2008 पंजीयन दिनांक 12.05.2008 के जरिये वर्तमान खसरा संख्या 1196/1114 मी रकबा 0.0100 हैक्टर मे मालीकाना हक कब्जा व अधिकार प्राप्त हुआ है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तब से आज तक वादिया उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर फसल प्राप्त कर उपयोग उपभोग करती आ रही है।

4. यह कि वादीया के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के पूर्वाधिकारी श्री रूपाजी कुम्हार के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कर मालीकाना हक व कब्जा सुपूर्द करने के पश्चात् उक्त कृषि भूमि को अपने खाते दर्ज कराने के लिए पटवारी हल्का को प्रार्थना पत्र को विक्रय की फोटोप्रति के साथ पेश किया गया, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा समय व्यतीत कर नामांतरण दर्ज करने की प्रकिया पूर्ण नही की गई।

5. यह कि जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 एवं संवत् 2061 से 2064 में खसरा संख्या 1496/1114 मी (एक हजार चार सौ छियानवे बटा एक हजार एक सौ चौदह) रकबा 0.0100 है. बादस्तूर दर्ज था, लेकिन रोटेशन जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 बनाते वक्त [illegible] त्रुटि से जमाबंदी लिखने में [illegible] खसरा संख्या 1114 मी (एक हजार

[illegible]

[illegible] कुम्हार [illegible]

4\. [illegible] हक व कब्जा सुपुर्द करने के [illegible] पटवारी हल्का को प्रार्थना [illegible] पत्र की विक्रय की फोटोप्रति के साथ पेश किया गया, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा समय तामील कर नामांतरण दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण नही की गई।

5\. यह कि जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 एवं संवत् 2061 से 2064 में खसरा संख्या 146/1114 मी (एक हजार चार सौ छियानवे बटा एक हजार एक सौ चौदह) रकबा 0.0100 है. बदस्तूर दर्ज था, लेकिन रोटेशन जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 बनाते वक्त लिपिकीय त्रुटि से जमाबंदी लिखने मे अशुद्वि कर खसरा संख्या 1114 मी (एक हजार एक सौ चौदह) रकबा 0.0100 है. लगान 0.02 रूपए दर्ज कर दिया गया है। उक्त अशुद्वि तत्पश्चात् वर्तमान जमाबंदी 2069 से 2072 मे भी उक्त त्रुटि को यथावत जारी रखा गया है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

तथा वादीया द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.04.2008 पंजीयन दिनांक 12.05.2008 द्वारा खसरा संख्या 1496/1114 मी रकबा 0.0100 है. प्रतिफल राशि भुगतान कर खातेदार रूपा कुम्हार से खरीदकर मालीकाना हक व कब्जा प्राप्त किया गया। रोटेशन जमाबंदी लिखते वक्त पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में उक्त खसरा संख्या को गलत तरीके से 1114 मी. रकबा 0.0100 है. अंकित कर दिया है, जिसकी जानकारी होने पर वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 07 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर शुद्धिकरण का निवेदन किया गया, लेकिन इंकार कर दिया गया, जिस पर वादीया द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प खेरवाडा में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पेश कर गलत इन्द्राज का शुद्धिकरण एवं वादीया के नाम नामांतरण दर्ज करने का निवेदन माह जून 2017 में किया गया, लेकिन शुद्धिकरण एवं नामान्तरण दर्ज करने से इंकार करने एवं पन्द्रह दिन पूर्व वादीया द्वारा प्रतिवादीगण को सहमति से भूमि वादीया के खाते दर्ज कराने के लिए निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा इंकार कर देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है एवं प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है।

अतः सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन बहस एवं मनन के पश्चात् वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब नही दिया गया है। अतः वादी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि में खसरा संख्या 1496/1114 मी. रकबा 0.0100 हैक्टर को जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 एवं 2069 से 2072 में खसरा संख्या 1114 मी. रकबा 0.0100 हैक्टर अशुद्व रूप से अंकित कर दिए है। उक्त खसरा संख्या को इन्द्राज दूरस्ती के द्वारा शुद्व कर खसरा संख्या 1496/1114 मी. रकबा 0.0100 हैक्टर अंकित करने की घोषणा की डिक्री पारित कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दूरस्ती दर्ज करने के लिए वादीया के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी की जाती है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में खसरा संख्या 1496/1114 मी, रकबा 0.0100 हैक्टर का वादीया को खातेदार काश्त घोषित करने की डिक्री जारी की जाती है।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार हो नम्बर से कम होवे।

(अनिल कुमार RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)